न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 35 /2021 प्रार्थना पत्र
GCMS NO-2021/100
अनिल कुमार पिता पोकरमल ऊर्फ पोखर राम जाट आयु वयस्क निवासी नुनिया गोठया तह0 चिडावा जिला झुंझुनु राज0 ——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— 1— मदनलाल चपलोत — अधिवक्ता वादी
2— पेरोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

::निर्णय:: दिनांक 16.02.2022

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि—

कि वाके मौजा बिनोता तह0 निम्बाहेडा की आराजी नं0 1838/773 है जो मिसल नं0 15/09 दिनांक 10.06.2009 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरित हुई है। जिसके पडोस उत्तर—भूपेन्द्रसिंह दक्षिण—रास्ता व बाफना जी, पूर्व— पश्चिम— औद्योगिक रूपांतरीत भूमि।

यहकि उक्त भूमि को प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिंनाक 23.10.2018 को श्रीमती मनीषा कुमारी पुत्री सुमेरसिंह पत्नी अरूण कुमार जाट नि. चिडावा हाल मु0 सुर्रा मोहल्ला, झूँझूनु जरिये मुख्त्यार मनीष पुत्र सुमेरसिंह जी जाट नि रूकमणीदेवी मेमोरियल हॉस्पीटल चिडावा जिला झूँझूनु से खरीद किया।

यहकि उक्त भूमि पुर्व साबिक रूपांतरीत नक्शा अनुसार उत्तर से दक्षिण 660 फीट एवं पूर्व से पश्चिम 162 फीट है। जो कि उत्तर से दक्षिण आयताकार लम्बाई चौडाई में मौके पर कायम है। और इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी वक्त खरीद से काबिज चला आ रहा है। पुष्टि में नक्शा की फोटो प्रति प्रस्तुत है।

इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का बिनोता की जांच रिपोर्ट पेश की गई जो संलग्न है तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा बिनोता की आराजी न. 1178 रकबा 1.00 है ओद्यौगिक प्रयोजनार्थ वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीमती मनीषा पत्नि सुमेरसिंह जाट सा. चिडावा के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त आराजी का साआन 1838/773 4 बीघा है। संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्रानुसार उपरोक्त आराजी को वादी श्री अनिल कुमार पिता पोकरमी उर्फ पोकरराम जाट सा. चिडावा ने क्रय किया।

यह कि पत्र में वर्णित सम्बन्धित आराजी न. 1177 रकबा 1.00 है औद्योगिक प्रयोजनार्थ श्री सुनीता पत्नि नरेन्द्र आबुसरिया के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। जिसका साआन. 2103/773 रकबा 4 बीघा था।

यह कि राजस्व मानचित्र जारी किये जाने योग्य (सेटलमेंट पूर्व का) नही है। संलग्न ब्यु प्रिन्ट/नक्शा ट्रेस दौरान संपरिवर्तन आदेश एवं मौका स्थिति अनुसार निम्नानुसार प्रस्तावित है।

अतः मौका स्थिति एवं सलग्न ब्यु प्रिन्ट व सेटलमेंट आदेश संलग्न अनुसार 1178 रकबा 0.50 पूर्वी भाग 1177 रकबा 0.50 पूर्वी भाग मनीषा पत्नि सुमेरसिंह जाट सा. चिडावा एवं 1178 रकबा 0.50 पश्चिमी भाग 1177 रकबा .050 पश्चिमी भाग श्रीमती मनीषा पत्नि सुमेरसिंह जाट को दिया जाना प्रस्तावित है,जो कि आराजी न. 1178 व 1177 के खातेदार है।

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में तरमीम नक्शा नहीं होने एवं मिलान शीट व गत भूप्रबन्ध का प्रमाणित नक्शा ट्रेस नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 16.02.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईजड किया गया।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा